

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक: सीआरओ/राआम/2016-17/47/32

दिनांक : 10/5/16

परिपत्र

विषय:- बोर्ड सम्पत्तियों की नीलामी हेतु प्रकाशित की जाने वाली विज्ञप्तियों/विज्ञापनों के संबंध में।


माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार लेख है कि भविष्य में मण्डल सम्पत्तियों की नीलामी हेतु विज्ञप्ति/विज्ञापन प्रकाशनों में मकानों/दुकानों एवं भूखण्डों का माप (लम्बाई-चौड़ाई) फुट के हिसाब से दर्शायी जावे तथा आवासीय भूखण्डों का क्षेत्रफल वर्गगज में भी प्रकाशित करवाना सुनिश्चित करें, जिससे आमजन जिस भाषा को उपयोग में लेते हैं, उसी में विज्ञापन होने से सम्पत्ति के बारे में भली प्रकार से समझकर बोली लगा सके।

कृपया उक्त निर्देशों की तुरन्त प्रभाव से पालना सुनिश्चित करें।

(आरती बागोटिया)
वित्तीय सलाहकार

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. प्रमुख निजी सचिव-अध्यक्ष/ वरि. निजी सचिव आवासन आयुक्त, रा.आ.मं., जयपुर।
2. वरि. निजी सचिव-सचिव/वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम/तृतीय जयपुर/द्वितीय, जोधपुर, रा. आ.मं., जयपुर।
5. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-I,II,III, जयपुर/जोधपुर-I,II/ उदयपुर/कोटा/ अलवर/ बीकानेर।
7. संयुक्त निदेशक, (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) रा.आ.मं., जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड करे।
8. आवासीय अभियन्ता, खण्ड- I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII, रा.आ.मं. जयपुर /PHE-I,II,III जयपुर/जोधपुर-I,II,III/उदयपुर-I,II/विद्युत खण्ड जयपुर/ अजमेर/भिवाडी/भरतपुर/झुन्झून/डुगरपुर/बाडमेर/नागौर/बीकानेर/कोटा/अलवर/पाली/बारां/ दौसा/हनुमानगढ़/चित्तौड़गढ़।
9. रक्षित पत्रावलि ।
10. जन सम्पर्क अधिकारी राज.आवास.मंडल जयपुर


लेखाधिकारी (राजस्व)